निर्णय वइजलास श्री दिव्यांशु शर्मा आर ए एस उपखंड अधिकारी बारां जिला बारां द्वारा अध्यासित

प्रकरण संख्या;- 144/20

दायरा दिनांक;- 11-11-20

निर्णय दिनांक;- 31-03-2022

उनवान

नंदकिशोर गुर्जर पुत्र श्री लालाराम जाति गुर्जर निवासी शिवाजी कॉलोनी महिंद्रा वर्कशॉप के आगे बारां तहसील बारां

बनाम

1. अमीर चंद पुत्र सीताराम जाति माली निवासी आखेड़ा की झोपड़ियां तहसील बारां
2. बजरंग लाल पुत्र पांचू लाल जाती माली निवासी आखेड़ा की झोपड़ियां तहसील बारां
3. अमर लाल पुत्र दौलतराम जाति माली निवासी आखेड़ा की झोपड़िया तहसील बारां
4. ग्राम पंचायत नारेडा जरिए सरपंच व सचिव

प्रार्थना पत्र धारा 251 ए आर टी एक्ट

निर्णय दिनांक;- 31-03-2022

अभिभाषक प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251 ए आर टी एक्ट विरुद्ध प्रतिवादी गण के न्यायालय में इस आशय का पेश किया गया कि प्रार्थी के खाते व कब्जे काश्त की आराजी खसरा नंबर 311 रखवा 0 . 20 हेक्टेयर खसरा नंबर 312 रखवा 0.20 हेक्टेयर वाके माला आखेड़ा की झोपड़ियां तहसील बारां में स्थित है जिसका प्रार्थी एकमात्र खातेदार है तथा उक्त [illegible] निरंतर काश्त करता आ रहा है प्रार्थी के खाते की भूमि से लगी हुई खसरा [illegible] आबादी है जिसका रकबा 0.39

Signature Not Verified

Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.04.29 13:05:09 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
बारॉं

Scanned with CamScanner

हेक्टेयर राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है जो वर्तमान में ग्राम पंचायत नारेडा के राजस्व अभिलेख में दर्ज है प्रार्थी के खाते की उक्त आराजी पर आने जाने का रास्ता खसरा नंबर 293 होकर है तथा ग्राम वासी भी इसी खसरा नंबर से आते जाते हैं मुख्य सड़क से इसी खसरा नंबर में 293 में होकर अपनी कृषि का समस्त ट्रैक्टर ट्रॉली खाद बीज हकाई जुताई हेतु आते जाते हैं इस रास्ते के अलावा और कोई रास्ता उपलब्ध नहीं है तथा प्रार्थी उक्त रास्ते का उपयोग उपभोग निर्बाध रूप से करता चला आ रहा है उक्त आराजी के पूर्व खातेदार भी उक्त रास्ते से खसरा नंबर 293 में होकर आते जाते थे इस रास्ते के अलावा प्रार्थी की उक्त कृषि भूमि पर आने-जाने का व कृषि यंत्र लाने ले जाने का अन्य कोई रास्ता नहीं है कुछ दिन पूर्व प्रतिवादी क्रम एक अमीर चंद ने अतिक्रमण कर व रेवड़ियां प्रतिवादी क्रम दो बजरंग लाल व प्रतिवादी क्रम 3 अमरलाल ने रेवड़ियां डालकर रास्ता अवरुद्ध कर दिया जिससे प्रार्थी को अपने खेत पर जाने व कृषि जिंस लाने वाले जाने में बड़ी दिक्कत आ रही है पिछले कई वर्षों से प्रार्थी व पूर्व खातेदार को सुखाधिकार प्राप्त है प्रतिवादी अमीरचंद बजरंग लाल अमर लाल द्वारा सरकारी भूमि पर अतिक्रमण कर सरकारी आबादी भूमि पर कब्जा कर अवैध निर्माण कर रखा है प्रतिवादी अमीरचंद बजरंग लाल अमर लाल को कोई कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं है कि वह प्रार्थी के खेत पर जाने आने का रास्ता अवरुद्ध करें प्रतिवादी ने प्रार्थी के खेत पर आने जाने का रास्ता अवरुद्ध कर दिया तो प्रार्थी का खेत बंजर रह जाएगा तथा प्रार्थी को अपार क्षति होगी जिसकी पूर्ति किसी भी रूप से संभव नहीं हो सकेगी प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र स्वीकार करने का निवेदन किया है।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादी गण को जरिए सम्मन्न तलब किया गया प्रतिवादी बावजूद सूचना के न्यायालय में उपस्थित नहीं होने के कारण उनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई वादी द्वारा अपने पक्ष के समर्थन में नकल जमाबंदी ग्राम आंकेड़ा संवत 2070 से 2073 खाता संख्या 5 एवं नकल जमाबंदी ग्राम आकेड़ा संवत 2070 से 2073 खाता संख्या 301 तथा नकल जमाबंदी ग्राम आंकेड़ा संवत

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.04.29 13:05:09 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
बारां

Scanned with CamScanner

2070 से 2073 खाता संख्या 115 पेश की गई नकल नक्शा ट्रेस ग्राम आंकेड़ा पेश किया गया फोटो प्रति जिला एवं सेशन न्यायालय बारां में विचाराधीन नंदकिशोर बनाम अमीरचंद बगैरा प्रार्थना पत्र ऑर्डर 39 रूल 1 व 2 तथा धारा 151 सीपीसी का जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया गया।

बहस अभिभाषक प्रार्थी सुनी गई बहस के दौरान वकील प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दौहराया गया वकील प्रार्थी का कथन है कि विवादित आराजी वाके ग्राम आंकेड़ा में स्थित है जिसका प्रार्थी एकमात्र खातेदार काश्तकार है प्रार्थी के खाते की भूमि से लगी हुई खसरा नंबर 293 गैर मुमकिन आबादी है जो वर्तमान में ग्राम पंचायत नारेडा के राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है प्रार्थी के खेत पर आने जाने का रास्ता खसरा नंबर 293 मैं होकर है ग्रामवासी भी इसी खसरा नंबर से आते जाते हैं मुख्य सड़क से इसी खसरा नंबर 293 में होकर अपने कृषि यंत्र ट्रैक्टर ट्रॉली एवं हकाई जताई हेतु लाते ले जाते हैं इस रास्ते के अलावा और कोई रास्ता उपलब्ध नहीं है प्रार्थी उक्त रास्ते का उपभोग उपयोग निर्बाध रूप से करता चला आ रहा है प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी को उक्त रास्ते को प्रतिवादी गण से खाली करवाया जावे।

बहस अभिभाषक प्रार्थी सुनी गई पत्रावली एवं रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया प्रस्तुत नकल जमाबंदी ग्राम आंकेड़ा संवत 2070 से 2073 खाता संख्या 5 के अनुसार अमर लाल ओमप्रकाश गिरधारी चमेली बाई धनराज वगैरा की खातेदारी में दर्ज है नकल जमाबंदी ग्राम आकेड़ा संवत 2070 से 2073 खाता संख्या 301 के अनुसार विवाद आराजी खसरा नंबर 293 ग्राम पंचायत नरेगा पंचायत समिति बारां के खातेदारी में दर्ज है नकल जमाबंदी ग्राम आंकेड़ा संवत 2070 से 2073 खाता संख्या 115 दीपक पुत्र नंदकिशोर जाति गुर्जर के नाम दर्ज रिकाई है उक्त विवादित भूमि के रास्ते संबंधी तहसीलदार बारां से रिपोर्ट ली गई तहसीलदार बारां द्वारा अपनी रिपो[illegible]ाया कि राज्य सरकार के अनुसार खसरा नंबर 293 गैर मुमकिन आबादी दर्ज है वादी [illegible] आकेड़ा सड़क से खसरा नंबर

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.04.29 13:05:09 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
बारां

Scanned with CamScanner

311 ,312 पर पहुंचने हेतु खसरा नंबर 293 गैर मुमकिन आबादी में से रास्ता जाता है मौके पर वादी के खसरा नंबर 311व 312 से लगभग 15 मीटर तक लगभग 10 फीट चौड़ा सीसी रोड बना हुआ है वादी के खेत के 15 मीटर पहले से उक्त रास्ता लगभग चार पांच फीट का रह जाता है वक्त रास्ते के विवाद का प्रकरण माननीय सिविल न्यायाधीश बारां के यहां जेरकार है उक्त प्रकरण में खसरा नंबर 293 में स्थित विवादित रास्ते पर मूल वाद के निस्तारण तक रिकॉर्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाए रखने का आदेश जारी किया हुआ है। तहसीलदार बारां की रिपोर्ट एवं प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत रिकॉर्ड का अवलोकन करने पर यह तथ्य सामने आता है कि विवादित खसरा नंबर 293 से संबंधित माननीय न्यायालय सिविल न्यायाधीश बारां के यहां विचाराधीन होने के कारण एवं मूल वाद के निस्तारण तक रिकॉर्ड व मौके की यथास्थिति बनाए रखने का आदेश जारी होने की स्थिति में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र चलने योग्य नहीं होने से खारिज किया जाना न्यायोचित है।

:: क्रियात्मक आदेश ::

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र सारहीन एवं तथ्य हीन होने के कारण खारिज किया जाता है

निर्णय लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

दिव्यांशु शर्मा / उपखंड अधिकारी
आर एएस
उपखंड अधिकारी बारां

Signature Not Verified

Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.04.29 13:05:09 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner